SC/ST and OBC Families below the poverty line in Santhal Pargana and Chhotanagpur Region

1136. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of families belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, living below the poverty line particularly in Santhal Pargana and Chhotanagpur region, as on 31st December, 1995;

(b) whether the number of those families has been increased or decreased in comparison to the last year;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the details of measures taken by Government to bring these families above the poverty line?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (c) The Planning Commission estimates State-wise number of persons below poverty line on the basis of quinquennial survey on Household Consumer Expenditure conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSOP). The data are collected for SC/ST separately but not for other socio-economic categories. The poverty estimates for Other Backward Classes are not available. The Statewise poverty estimates for SCs and STs are available only for the years 1977-78 and 1983-84. The data are not available below the level of the State. As such, the estimates of poverty for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Otrher Backward Classes in Santhal Pargana and Chhotanagpur region as on 31st December, 1995 are not available.

(d) A number of programmes are being implemented in order to improve the quality and life of the poor households. Of these, Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS), Drought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme are being continued.

संसदीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें

1137. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति ने सरकार से देश भर में कामगारों तथा विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक समान न्यूनतम वेतन देने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो एक समान वेतन के अतिरिक्त अन्य किन-किन मुद्दों पर समिति ने सिफारिश की है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार समिति की इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित करेगी?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय को संसदीय परामर्शदात्री समिति ने 22.1.96 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

(i) सभी राज्यों पर लागू होने वाली एक समान न्यूनतम मजदूरी नियत करना।

(ii) कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन करना।

(iii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकरण के संबंध में एक टिप्पणी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को परिचालित की जाये।

जहां तक (i) का संबंध है, देश में समग्र रूप से सबसे निचले स्तर की एक न्यूनतम मजदूरी नियत करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए सरकार ने 2 अप्रैल, 1996 को राज्य श्रम मंत्रियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के साथ एक बैठक बुलाई है।

जहां तक (ii) का संबंध है, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पांच वर्षीय आधार पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षण करता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण,

जिसके संबंध में विस्तृत परिणाम प्रकाशित किये जा चुके हैं, वर्ष 1987-88 से संबंधित है (43वां दौर) अनुवर्ती सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्य जुलाई, 93 से जून, 94 की अवधि के दौरान पूरा किया जा चुका है। इस दौर के विस्तृत परिणाम इस वर्ष के अंत तक जारी किये जाने की आशा है। इन सर्वेक्षणों के परिणाम हमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की सही स्थिति आदि का मूल्यांकन करने में समर्थ बनायेंगे।

जहां तक (iii) का संबंध है, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम के संबंध में एक नोट परिचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों में हुई हड़तालें

1138. **श्री नागमणि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयों में वर्ष 1994-95 के दौरान हुई हड़तालों तथा तालाबंदियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उदारीकरण से पूर्व के वर्षों अर्थात जुलाई, 1991 से पहले के वर्षों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अधिक हड़तालें तथा तालाबंदियां हुईं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) उदारीकरण-पूर्व वर्षों (1989-91) की तुलना में 1994 और 1995 के दौरान कुल मिलाकर हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या में, औद्योगिक विवादों का समय से और प्रभावी समझौते और श्रम औद्योगिक संबंधी नीतियों के विनिर्माण और कार्यान्वयन में सामाजिक सहभागियों की अंतर्ग्रस्तता के माध्यम से सरकार को सहयोग-पूर्ण भूमिका के कारण गिरावट आयी है।

विवरण

चुनिंदा राज्यों में, 1994 और 1995 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों में हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या (अनन्तिम)।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994			1995		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	232	55	287	155	26	181
बिहार	1	24	25	0	11	11
दिल्ली	2	15	17	1	2	3
गोवा, दमन और दीव	0	6	6	0	9	9
गुजरात	20	94	114	10	78	88
हरियाणा	0	40	40	1	24	25
कर्नाटक	3	15	18	6	16	22
केरल	6	48	54	6	39	45
मध्य प्रदेश	3	17	20	13	16	29
महाराष्ट्र	14	133	147	3	79	82